पत्रांक– 1प्रा0आ0–17/2015 ..../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक

विषय : **आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि RTGS/NEFT अथवा A/C payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध कराने के संबंध में स्पष्टीकरण।**

महाशय,

कृपया विभागीय पत्रांक 1432/आ0प्र0 दिनांक– 04.04.2016 का स्मरण किया जाए। उक्त पत्र के कंडिका 4 एवं 5 में निदेश है कि आपदा प्रभावितों को मुफ्त साहाय्य के रूप में नगद अनुदान के मद में 3,000/– रु0 तथा खाद्यान्न मद हेतु 3,000/– रु0 कुल 6,000 रु0 की राशि तथा बर्त्तन एवं कपड़ा मद में देय अनुग्रह अनुदान, (जैसे– बाढ़/भूकम्प/अग्निकांड/चक्रवातीय तूफान आदि के कारण जिनका घर क्षतिग्रस्त हो गया हो अथवा बाढ़ में सामान बह गया हो) जो वर्तमान मानदर के अनुसार क्रमशः 1,800/– रु0 एवं 2,000/– रु0 प्रति परिवार है, की पूरी राशि NEFT/RTGS के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाते में सीधे उपलब्ध करायी जाएगी। यदि NEFT/RTGS का उपयोग किसी कारणवश संभव न हो तो आपवादिक मामले में A/c payee cheque के माध्यम से राशि लाभुकों को दी जाएगी। इसके पूर्व विभागीय पत्रांक 1602 दिनांक 02.05.15 द्वारा निदेशित है कि कृषि इनपुट सब्सिडी तथा गृह क्षति अनुदान की राशि भी यथानुसार RTGS/NEFT/ A/C payee Cheque के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।

2. दिनांक 22.04.2016 को मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सभी जिला पदाधिकारियों एवं प्रमंडलीय आयुक्तों के साथ हुई विडियो कॉफ्रेंसिंग के दौरान कतिपय जिला पदाधिकारियों/ प्रमण्डलीय आयुक्तों द्वारा सूचित किया गया कि अग्निकांड/ बाढ़ आदि में घर नष्ट हो जाने के कारण कागजातों के जल जाने तथा बैंको में खाता नहीं रहने के कारण प्रभावित परिवारों को RTGS/NEFT अथवा A/C payee Cheque के माध्यम से अनुदान की राशि उपलब्ध कराने में कठिनाई उत्पन्न होती है। उनके द्वारा अग्निकांड एवं बाढ़ से प्रभावित परिवारों को तत्काल साहाय्य के रूप में दिए जाने वाले वस्त्रादि, नगद एवं खाद्यान्न हेतु उपलब्ध कराये जाने वाली अनुमान्य अनुदान की राशि को नगद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

3. सम्यक विचारोपरांत उपरोक्त परिपत्रों को आंशिक रूप से शिथिल करते हुए निदेश दिया जाता है कि अग्निकांड एवं बाढ़ में अगर मुफ्त साहाय्य मद में अनुमान्य अनुदान की राशि NEFT/RTGS/ A/c payee cheque के माध्यम से देना सम्भव न हो तो अपरिहार्य स्थिति में जिला पदाधिकारी अपने विवेक से आपदा प्रभावितों को देय अनुदान की राशि नकद उपलब्ध कराने हेतु निर्णय ले सकते हैं।

\\Pc5-pc\d\(PC-5) 2016\Draft\Letter to All Commissioner and DM in Bihar (22.04.2016).doc

4. यह भी स्पष्ट करना है कि उपरोक्त कंडिका 3 के अपवाद को छोड़कर SDRF मानदर के अनुसार आपदा प्रभावितों को देय सभी तरह के अनुदान की राशि यथानुसार NEFT/ RTGS अथवा A/c payee चेक के माध्यम से ही उपलब्ध करायी जाएगी।

विश्वासभाजन
ह0/–
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ..../आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–
प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1642 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 2/5/16
प्रतिलिपिः सभी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव